राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)

(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत सेड़वा)

राजस्व आवेदन सं. 06/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थीनी रंगु देवी पत्नी श्री हमलू बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थीनी रंगु देवी पत्नी श्री हमलू निवासी सेड़वा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि **पटवार हल्का सेड़वा, राजस्व गांव सेड़वा के खाता संख्या 313 के खसरा संख्या 1100/235 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, किस्म बारानी सोयम जमाबन्दी सवत् 2075–78,** में उनका नाम रंगुदेवी पत्नी श्री हमलूराम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, जबकि उनका शुद्व नाम रंगुदेवी पत्नी श्री हमलूराम के स्थान पर रंगुदेवी पत्नी श्री हमलू है, इस तरह उनका नाम रंगुदेवी पत्नी श्री हमलूराम के स्थान पर रंगुदेवी पत्नी श्री हमलू दुरूस्त किया जावे।

04.01.2026

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक ~~02.01.2025~~ की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थीनी रंगुदेवी पत्नी श्री हमलू का **पटवार हल्का सेड़वा, राजस्व गांव सेड़वा के खाता संख्या 313 के खसरा संख्या 1100/235 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, किस्म बारानी सोयम जमाबन्दी सवत् 2075–78,** प्रार्थीनी का नाम रंगुदेवी पत्नी श्री हमलूराम के स्थान पर रंगुदेवी पत्नी श्री हमलू है तथा इस तरह उनका नाम रंगुदेवी पत्नी श्री हमलूराम के स्थान पर ~~रंगुदेवी पत्नी श्री हमलू~~ रंगु देवी पत्नी श्री हमलू शुद्व करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा

क्रमांकः– 024 02-04

दिनांक : 05/01/26

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थीनी रंगुदेवी पत्नी श्री हमलू, निवासी सेड़वा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा